

निगा 0 - 4442/2018/रीवा/सू.श.0

न्यायालय श्रीमान राजेंद्र मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प कोर्ट रीवा, म०प्र०



दिलावर बक्स तनय चिराग अली, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम बरसैकी, दा  
तहसील हनुमना, जिला रीवा म०प्र० - --- निगरानीकर्ता

बनाम

सिराजुद्दीन तनय जानमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम दादर, तहस  
हनुमना, जिला रीवा म०प्र० - --- गैर निगरानीकर्ता

अधिकांश वास्तु काश  
मिना द्वारा देखा 18.7.18

क्लर्क आफ कोर्ट  
राजेंद्र मण्डल म०प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला  
रीवा के प्र.क्र. 74/अपील/अ-66/17-18 पारित  
आदेश दिनांक 16.07.18 के आदेश को निरस्त  
किये जाने ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 7 वास्तुधान अधिनियम

1980 ई. ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

- 1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा के द्वारा प्रकरण  
क्र. 74/अपील/अ-66/17-18 पारित आदेश दिनांक 16.07.18 विधि प्रक्रिया  
एवं सिध्दान्तों के विपरीत पारित आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
- 2:- यह कि दिलावर बक्स मजदूर एवं अशिक्षित, अल्पसंख्यक होने के साथ  
निवास हेतु उसके हित में निजी स्वत्व की कोई भी भूमि नहीं है, जिसमें

4/11/8

~~प्रमाण~~  
 प्रमाण का उपयोग किया  
 तथा राजीनामा का उपयोग  
 किया।  
 उद्योग-पत्र के माध्य  
 से राजीनामा ही जल से उद्योग  
 द्वारा प्रेषित को प्रेषण पत्र के माध्य  
 से प्रेषण इसी स्तर पर  
 समाप्त किया जात है प्रमाण  
 अधिकार विकार है।

श्री  
 [Signature]

[Signature]  
 लक्ष्मी